NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 258/NCRES/2020 Date : 18.11.2020

श्रीमान महाप्रबन्धक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :– प्रयागराज, आगरा व झांसी मण्डल द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के अनुसार कार्यरत बुकिंग क्लर्कों को 15 मिनट का लंच ब्रेक देने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किया जाना।

सन्दर्भ :– पी.एन.एम. मद संख्या 7/11/2018

महोदय,

कृपया याद करे कि दिनांक 25/26 फरवरी 2020 की PNM बैठक के प्रारम्भिक भाषण में NCRES के महिला प्रतिनिधि द्वारा बुकिंग क्लर्को को 15 मिनट का लंच ब्रेक देने का मुद्दा आपके समक्ष उठाकर अवगत कराया गया कि "वाणिज्य विभाग में कार्यरत बुकिंग क्लर्कों को 8 घंटे की ड्यूटी में लंच का समय न मिल पाने के कारण घर से लाया गया टिफिन वापस घर चला जाता है और बिना लंच के लगातार कार्य करते रहने से कर्मचारियों में कार्य करने की क्षमता एवं ऊर्जा घट जाती है, ऐसी स्थिति में यदि कोई कर्मचारी लंच करने लगता है तो यात्री मोबाइल से वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर भेजते है जिससे छवि खराब होती है, इसलिये अनुरोध है कि ECRC की तरह बुकिंग क्लर्क को भी कम से कम 15–20 मिनट का लंच ब्रेक देने के लिये आदेश किया जाय।" **तब आपने कहा था कि 15 मिनट का ब्रेक बुकिंग क्लर्क को मिलेगा।**

NCRES को यह भी अवगत कराना है कि आपके आश्वासन एवं दिनांक 26.2.2020 को PNM बैठक में मद सं. 7/11/2018 पर हुये निर्णय के अनुसार Dy. CCM(G) ने अपने पत्र दिनांक 3.6.2020 द्वारा मण्डलों से वाणिज्य लिपिको को 15 मिनट का ब्रेक देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव मांगा तो **आगरा मंडल ने अपने पत्र दिनांक 13.8.2020 (संलग्न) द्वारा, झांसी मंडल ने अपने पत्र दिनांक 20.8.2020 (संलग्न) द्वारा और प्रयागराज मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 3.9.2020 (संलग्न) द्वारा प्रधान कार्यालय को प्रस्ताव भेजा कि " ऐसे स्टेशनो पर जहाँ 02 से अधिक बुकिंग खिड़कियां संचालित की जाती है उन स्टेशनो पर गाड़ियों के नियमित ठहराव व यातायात को ध्यान में रखते**

हुये मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक सुविधानुसार 15 मिनट का लंच ब्रेक अपने विवेक से इस प्रकार दे **सकता है कि कम से कम एक खिड़की कार्यरत रहे और ऐसे स्टेशन जहाँ पर 01 बुकिंग खिड़की है वहाँ भी गाड़ियों के आवागमन के अनुसार सुविधाजनक समय में 15 मिनट का लंच ब्रेक कार्यरत कर्मचारी ले सकता है''**, लेकिन अभी तक बुकिंग क्लर्क को 15 मिनट का ब्रेक देने के लिये प्रधान कार्यालय से दिशा–निर्देश जारी नही हो पाया है।

यह भी अवगत कराना है कि ECRC को 6 घंटे के कार्यकाल में 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है जिससे वे लंच व दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर बिना किसी तनाव के कार्य करते है लेकिन बुकिंग क्लर्को को 8 घंटे के कार्यकाल में 15 मिनट का ब्रेक न मिल पाने के कारण वे लंच व दैनिक क्रियाओं से वंचित होने से तनाव में ड्यूटी करने हेतु विवश होते है जिससे उनसे गलती होने व व्यवहार में चिड़चिड़ापन होने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है जो संरक्षा व सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी उचित प्रतीत नही होता है।

अतः NCRES का अनुरोध है कि आगरा, प्रयागराज और झांसी मण्डल द्वारा भेजे गये उपरोक्त प्रस्तावों के अनुसार तीनो मण्डलो के Sr.DCM को दिशा निर्देश देने हेतु उचित आदेश करने की कृपा करें ताकि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में कार्यरत बुकिंग क्लर्को को भी 8 घन्टे की शिफ्ट में 15 मिनट का ब्रेक मिले ताकि कर्मचारी तनाव मुक्त होकर भोजन व आवश्यक दैनिक क्रियाओं से निवृत होकर अपने व्यवहार से रेलवे की छवि बढ़ाने में बेहतर सहयोग कर सके।

संलग्नः– आगरा मण्डल, झांसी मण्डल और प्रयागराज मंडल द्वारा भेजा गया प्रस्ताव दिनांक 13.8.2020, 20.8.2020 एवं 3.9.2020

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

उत्तर मध्य रेलवे

कार्यालय,
मंडल रेल प्रबंधक / वा0

आगरा

क्र. म.रे.प्र / वा / आगरा/एनसीआरईएस/ जबाव / 2020 — दिनांक :- 13.08.2020

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
उ० म० रे० प्रयागराज।

विषय:- महाप्रबंधक स्तर पर एनसीआरईएस के साथ दिनांक 25 एवं 26 फरवरी 2020 को सम्पन्न स्थायी वार्ता तन्त्र की बैठक का पुनरावृत।

संदर्भ:- 1. वरि कार्मिक अधिकारी /मुख्यालय का पत्र संख्या 981 ई/ एनसीआरईएस/ पुनरावृत/ई-युनियन दिनांक 09.05.2020
2. 5x- सी/एनसीआरईएस/

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत आगरा मंडल के वाणिज्य विभाग से सम्बंधित मदों पर टिप्पणी निम्नानुसार है।

मद सं.	टिप्पणी
[illegible] / 2016	कामर्शियल क्लर्को को ड्यूटी के बीच में 15 मिनट का ब्रेक देने के संबंध में - ऐसे स्टेशनों पर जहाँ पर 02 से अधिक बुकिंग खिड़कियां संचालित की जाती है उन स्टेशनों पर गाड़ियों के नियमित ठहराव व यातायात को ध्यान में रखते हुये मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक सुविधानुसार 15 मिनट का लंच ब्रेक अपने विवेक से इस प्रकार दे सकता है कि कम से कम एक खिड़की कार्यरत रहे। ऐसे स्टेशन जहां पर 01 बुकिंग खिड़की है वहाँ भी गाड़ियों के आवागमन के अनुसार सुविधाजनक समय में 15 मिनट का लंच ब्रेक कार्यरत कर्मचारी ले सकता है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मंडल वाणिज्य प्रबंधक
आगरा

C/406/यूनियन PNM/Misc/JHS-20/Cog-I

कार्यालय

उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/सा.
उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

मण्डल रेल प्रबंधक (वाणिज्य)
झाँसी, दिनाँक- 20.08.2020

विषय:- महाप्रबंधक स्तर पर NCRES के साथ दिनाँक-25 एवं 26 फरवरी 2020 को सम्पन्न स्थायी वार्ता तंत्र की बैथक का वृतासार।

संदर्भ:- 1. 53-सी/बैठक/ NCRES, दिनाँक- 03.06.2020

2.वरि.कार्मिक अधिकारी/मुख्यालय का पत्र संख्या 961 ई/ NCRES/वृतसार/ई-यूनियन, दिनाँक- 19.05.2020।

****

उपरोक्त विषयांतर्गत झाँसी मण्डल के वाणिज्य विभाग से सम्बंधित मदों पर टिप्पणी निम्नानुसार है:-

<u>क्रम संख्या-95, मद संख्या- 07(112018) के संदर्भ में टिप्पणी-</u>

वाणिज्य लिपिक को कार्य समय के बीच 15 मिनट का ब्रेक देने के सम्वंध में।

प्रस्ताव- उक्त मद के परिपेक्ष्य में अवगत कराना है कि ऐसे स्टेशनो पर जहाँ पर दो से अधिक बुकिंग खिड़कियां संचालितकी जाती हैं, उन स्टेशनों पर गाडियों के नियमित ठहराव व यातायात को ध्यान में रखते हुये मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक सुविधा अनुसार 15 मिनट का भोजन-अवकाश (लंच) अपने विवेक से इस प्रकार दे सकता है कि कम से कम एक खिड़की कार्यरत रहे।

ऐसे स्टेशन जहाँ पर एक बुकिंग खिडकी है, वहाँ भी गाडियों के आवागमन के अनुसार सुविधाजनक समय में 15 मिनट का भोजन-अवकाश (लंच) कार्यरत कर्मचारी से ले सकता है।

आपके सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मण्डल वाणिज्य प्रबंधक,
उत्तर मध्य रेलवे, झाँसी

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय , उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

पत्र संख्या- सीएम-I/ विविध/यूनियन /NCRES/ 2020 दिनांक :- 03.09.2020

उप-मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक(सा)
उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

विषय:- महाप्रबंधक स्तर पर एनसीआरईएस के साथ दिनांक 25 एवं 26 फरवरी 2020 को संपन्न स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक का वृतसार|

सन्दर्भ :-1. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/मुख्यालय का पत्र संख्या 961 ई/ एनसीआरईएस/वृतसार /ई-यूनियन दिनांक-09.05.2020.
2. 53-सी/ बैठक/एनसीआरईएस, दिनांक-13.06.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रयागराज मंडल के वाणिज्य विभाग से पूर्व में पत्रांक सीएम-4/पीएनएम/एनसीआरईएस/मुख्या०/2018-20, दिनांक-15.07.20 को मुख्यालय को प्रेषित किया गया है जिसके अनुसार कर्मचारियों के लिए एनसीआरईएस द्वारा मांगी गयी सुविधा पर वाणिज्य विभाग को कोई आपत्ति नही है परन्तु नीतिगत विषय होने के कारण इस पर निर्णय रेलवे बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात ही लागू किया जा सकता है|

पुनः एक बार फिर प्रयागराज मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा सम्बन्धित मद पर टिप्पणी निम्नानुसार है:-

मद संख्या	टिप्पणी
07(11/2018)	वाणिज्य लिपिक को ड्यूटी के बीच में 15 मिनट का ब्रेक देने के सम्बन्ध में| ऐसे स्टेशनों पर जहां पर 02 से अधिक बुकिंग खिडकियां संचालित की जाती हैं उन स्टेशनों पर गाड़ियों के नियमित ठहराव व यातायात को ध्यान में रखते हुए मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक के द्वारा सुविधातुसार 15 मिनट का लंच ब्रेक अपने विवेक से इस प्रकार दिया जाना कि कम से कम एक खिड़की कार्यरत रहे| तथा ऐसे स्टेशनों पर जहां पर 01 बुकिंग खिड़की है वहां भी गाड़ियों के आवागमन के अनुसार सुविधाजनक समय से 15 मिनट का लंच ब्रेक कार्यरत कर्मचारी को दिया जाना| दोनों ही बिंदु एक उचित मांग है तथा इसपर वाणिज्य विभाग को कोई आपत्ति नही है विषय नीतिगत होने के कारण सक्षम अनुमोदन के पश्चात लागू किया जा सकता है|

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है|

पंकज 4/9/2020

सहायक मंडल वाणिज्य प्रबंधक
उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज